संख्या-26/2022/106/12-5-2022/सा0-1/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2022

विषयः- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के प्रशासनिक मद की धनराशि को जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर उपभोग एवं मात्राकरण के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या-13/2019/320/12-5-2019-सा०-01/2019, दिनांक 27.02.2019 के प्रस्तर-5 में निम्न व्यवस्था प्राविधानित है :-

''भारत सरकार के द्वारा पहली किश्त का 0.25 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में दिया जा रहा है अर्थात प्रत्येक ऐसे पात्र लघु एवं सीमान्त परिवार जिसके खाते में रू० 2 हजार प्रथम किश्त स्थानान्तरित होगी, के लिए 5 रूपये में से 50 पैसे प्रदेश मुख्यालय पर होने वाले प्रशासनिक व्यय एवं मण्डल मुख्यालय को दी जाने वाली राशि के लिए उपयोग में लाया जायेगा तथा शेष 4 रूपये 50 पैसे प्रति पात्र परिवार जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी धनराशि के विरूद्ध रूपये 50 हजार प्रति विकासखण्ड की दर से जनपदों को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है एवं इसका समायोजन करते हुए शेष धनराशि बाद में उपलब्ध करायी जायेगी।''

2- उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि को जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर उपभोग एवं मात्राकरण के निर्धारण के संबंध में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 27.02.2019 के प्रस्तर-5 को संशोधित करते हुए प्रशासनिक मद की उपलब्ध धनराशि में से मुख्यालय स्तर पर 40 प्रतिशत तथा जनपद एवं ब्लाक स्तर पर 60 प्रतिशत धनराशि का व्यय किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है, कि उपलब्ध धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की गाइडलाइन्स के अनुरूप अनुमन्य मदों में ही किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों/क्रय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। साथ ही उक्त योजना के अनुश्रवण/प्रशासनिक मद में व्यय एवं योजना के कुशल क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुश्रवण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।

3- भविष्य में इस प्रशासनिक मद की धनराशि के मात्राकरण हेतु पी0एम0 किसान सम्मान निधि योजना के अनुश्रवण एवं प्रशासनिक मद में व्यय एवं योजना के कुशल क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- संयुक्त सचिव एवं सी0ई0ओ0 (पीएम-किसान), कृषि एवं किसान कल्याण मत्रांलय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, सूचना, उ०प्र० शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, शासन।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० शासन।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
9- कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
10- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।